रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01102025-266586
CG-MH-E-01102025-266586

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947
No. 654] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 29 सितंबर, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2025

सं. फेमा/396(4)/2025-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी, दिनांकित 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: –

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में संशोधन

(i) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1 में, मौजूदा उप-पैराग्राफ 'ई' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"ई. विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को अनुमति

भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों और किसी भारतीय कंपनी द्वारा निर्गम किए गए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बॉन्डों एवं वाणिज्यिक पत्रों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।"

(ii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में, मौजूदा खंड (4ए) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(4ए) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ई) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा की गई खरीदों के लिए प्रतिफल की राशि का भुगतान, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार उनके रुपया खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा।"

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./388/2025-26]

पाद-टिप्पणी:- मूल विनियमावली शासकीय राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को जी.एस.आर. सं. 796 (ई) के तहत भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी और निम्नानुसार संशोधित की गई थी:

1. दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. फेमा 396(1)/2021-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021], जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III—खण्ड 4 में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-21102021-230591, दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।
2. दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं. फेमा 396(2)/2023-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023], जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III—खण्ड 4 में, राजपत्र आईडी सीजी--डीएल-ई-21102023-249619, दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।
3. दिनांक 02 अगस्त, 2024 की अधिसूचना सं. फेमा 396(3)/2024-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2024], जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III—खण्ड 4 में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-10082024-256254, दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th September, 2025

Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Fourth Amendment) Regulations, 2025

No. FEMA/396(4)/2025-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation'), namely:-

1. Short title and commencement

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 1 to the Principal Regulation

(i) In paragraph 1 of Schedule 1 to the Principal Regulation, the existing sub-paragraph E, shall be substituted by the following:

> ***"E. Permission to persons resident outside India maintaining rupee account in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016***
>
> *Persons resident outside India that maintain a rupee account in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 may purchase or sell dated Government Securities/treasury bills and non-convertible debentures/bonds and commercial papers issued by an Indian company, as per terms and conditions specified by the Reserve Bank."*

(ii) In paragraph 2 of Schedule 1 to the Principal Regulation, the existing clause (4A) shall be substituted by the following:

> *"(4A) The amount of consideration paid by persons resident outside India for their purchases in terms of sub-paragraph (E) of paragraph 1 of this Schedule shall be out of funds held in their rupee account maintained in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016."*

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./388/2025-26]

Foot Note: - The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.796(E) dated October 17, 2019, in Part II, Section 3, Sub-section (i) and amended, *vide:*

1. Notification no. FEMA 396(1)/2021-RB [Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021] dated October 13, 2021, published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], *vide* Gazette ID CG-MH-E-21102021-230591 dated 21.10.2021.
2. Notification no. FEMA 396(2)/2023-RB [Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023] dated October 16, 2023, published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-DL-E-21102023-249619 dated 20.10.2023.
3. Notification no. FEMA 396(3)/2024-RB [Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Third Amendment) Regulations, 2024] dated August 02, 2024, published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-MH-E-10082024-256254 dated 07.08.2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.01 19:47:10 +05'30'